

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र0अ0 (मा0वि0) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे मैट्रिक लेवल
1	2	3	4	5	6	7
01	श्रीमती अनुरिता झा प्रधानाचार्य राउमावि, भिवाडी-तिजारा (अलवर)	10.08.71	11.01.97 व्याख्याता	10.01.17 20 वर्ष	11.01.17 द्वितीय	15600-39100 6800/-
02	श्री रमेशलाल गर्ग प्रधानाचार्य राउमावि, सलोदिया (पाली)	22.06.66	09.10.87 व0 अ0	08.10.17 30 वर्ष	09.10.17 तृतीय	15600-39100 6800/-
03	श्रीमती अर्चना गुप्ता, प्रधानाचार्य, राबाउमावि, सोजतनगर (पाली)	08.08.62	03.03.97 व्याख्याता	02.03.17 20 वर्ष	03.03.17 द्वितीय	15600-39100 6800/-
04	श्री गिरधारीलाल कोली, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राउमावि, टोडामीणा-ज0रामगढ़ (जयपुर)	22.10.58	23.02.95 व्याख्याता	22.02.15 20 वर्ष	23.02.15 द्वितीय	15600-39100 6800/-

उक्त प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा। एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।




(नथमल डिडेल)

आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4/एसीपी/जय-जोध-पाली/2018-19/44 दिनांक: 14.1.19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-मुख्यालय)
- 2- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं0 स0
- 3- संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित अधिकारी।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग।
- 5- रक्षित पत्रावली।



सयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।